

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 172/2025

1. राजेश कुमार
2. दिनेश कुमार
3. डॉ० मुकेश कुमार वर्मा
4. मु० इन्दुलता आयु 50 वर्ष पुत्री बीरबल सिंह स्त्री भागीरथ सिंह, निवासी बी-97 इन्दिरा नगर, झुंझुनू।
5. मु० मंजू कुमारी पुत्री बीरबल सिंह स्त्री राकेश कुमार, निवासी पिलानी खुर्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुंझुनू।

पिसरान बीरबल सिंह, निवासी श्योपुरा ढाका का
बास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमलेश कुमार पुत्र हरदेवाराम, निवासी कुहाडू, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।
2. सुभाष पुत्र हनुमान प्रसाद, निवासी मोचियों का मोहल्ला, वार्ड नं० 12, मण्डावा, जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनू।

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2701 दिनांक 07.06.2025 वाके मण्डावा,
तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू।

उपस्थित:-

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री हरिराम पूनिया, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट सं० 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के आदेश दिनांक 14.05.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र 96 सी०पी०सी० के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 96 सी०पी०सी० पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र 96 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील के सारवान संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके अन्य भाइयों के पिता स्व० हनुमान प्रसाद की खातेदारी का खेत पुराना खसरा नं० 692/3 व 693/2 वाके ग्राम मण्डावा रहा जिसके नये खसरा नं० सेटलमेंट के दौरान 1662 तादादी 1.45 है० व खसरा नं० 1664 तादादी 0.05 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है० वाके ग्राम मण्डावा पड़े हैं। उक्त स्व० हनुमानाराम ने अपनी खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र में से 2 बीघा 3 बिश्वा जमीन जो 6125 वर्गगज जमीन के समकक्ष होती है को अपने जायज कार्यों की जरूरत हेतु रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर 36000/-रुपये (अंकेही छतीस हजार रुपये मात्र) में सदीक पुत्र नजीर, जाति व्यापारी, निवासी मण्डावा, जिला झुंझुनू को विक्रय कर दी व जमीन की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रतिफल राशि क्रेता सदीक से प्राप्त कर उक्त अनुसार विक्रय की गई भूमि का कब्जा क्रेता उक्त सदीक को संभला दिया व इस आशय का ईकरारनामा विक्रय क्रेता सदीक के हक में निष्पादित करवा कर दिनांक 28.06.2002 को नोटरी पब्लिक झुंझुनू से तस्दीक करवा दिया। इस प्रकार सदीक इस जमीन पर काबिज व मालिक रहा। उक्त सदीक ने अपनी कयशुदा उक्त जमीन को अपनी घर की जरूरत के लिए रुपयों की आवश्यकतानुसार अब्दुल मजीद पुत्र घासी, जाति व्यापारी मुलसमान, निवासी वार्ड नं० 12, मण्डावा को 80,000/-रुपये में विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर इस जमीन का कब्जा उक्त अब्दुल मजीद को सम्भला दिया व इस आशय का ईकरारनामा विक्रय उक्त अब्दुल मजीद के हक में तहरीर व तकमील करवाकर दिनांक 19.04.2006 को नोटरी पब्लिक झुंझुनू से तस्दीक करवा दिया। उक्त अब्दुल

जिला कलक्टर झुंझुनू

मजीद इस जमीन का मालिक व काबिज रहा। उक्त अब्दुल मजीद ने भी दिनांक 05.06.2006 को अपनी आवश्यकतानुसार अपनी क्यशुदा जमीन को 1,00,000/-रुपये प्रतिफल राशि से शरीफ खत्री पुत्र यासीन खत्री, जाति मुलसमान व्यापारी, निवासी मोडा पहाड़ की ढाणी, वार्ड नं0 31, झुंझुनूं को विक्रय कर इस आशय का ईकरारनामा विक्रय क्रेता उक्त शरीफ खत्री के हक में तहरीर तकमील करवाकर नोटेरी पब्लिक झुंझुनूं से दिनांक 05.06.2006 को तस्दीक करवा दिया। इस प्रकार उक्त क्रेता शरीफ खत्री इस जमीन का मालिक व काबिज रहा। उक्त शरीफ खत्री ने अपनी शरीदशुदा उक्त जमीन को विक्रय करना चाहा तो उक्त शरीफ खत्री ने अपीलान्ट्स के पिता स्व0 बीरबल सिंह से सम्पर्क कर उसके द्वारा उक्त अनुसार क्य की गई जमीन को विक्रय करने की इच्छा जाहिर की। इस पर अपीलान्ट के पिता ने उक्त शरीफ खत्री से उक्त अनुसार वर्णित शुरु से लेकर आखिर तक के समस्त ईकरारनामा विक्रय का अवलोकन करने पर विवादित जमीन रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पिता उक्त हनुमानाराम की खातेदारी में होना व रेस्पोडेन्ट नं0 2 व उसके भाइयों के पिता के अनुसूचित जाति से होना पाया। रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पिता अनुसूचित जाति की मेघवाल जाति से है। कानून से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की जमीन का विक्रय पत्र अन्य किसी धर्म या स्वर्ण जाति के व्यक्ति के हक में पंजीकृत होने में बाधा रही। इसी कारण सम्पूर्ण राशि का भुगतान किये जाने के बावजूद इस विवादित जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र के बाबत विक्रय पत्र पहले उक्त सदीक के हक में पंजीकृत नहीं करवाया जा सका। यही कारण रहा कि विवादित जमीन एक के बाद एक के हक में जरिये ईकरारनामा विक्रय ही विक्रय होती चली गई। उक्त परिस्थितियों में अपीलान्ट के पिता ने रेस्पोडेन्ट नं0 2 व उसके भाइयों के पास जाकर मण्डावा में सम्पर्क किया। तब तक रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पिता उक्त हनुमानाराम का देहान्त हो चुका था। अपीलान्ट के पिता ने रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पिता हनुमानाराम द्वारा सदीक व्यापारी को जरिये ईकरारनामा विक्रय दिनांक 28.06.2002 को विक्रय की गई भूमि के बाबत विक्रय पत्र अपने स्वयं के हक में पंजीकृत करवाने के लिए दिनांक 10.09.2013 को कहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके भाइयों ने अपीलान्ट के पिता से स्पष्ट कहा कि उनके पिता स्व. हनुमानाराम द्वारा जमीन की उचित मूल्य राशि प्राप्त कर ईकरारनामा विक्रय यथासमय निष्पादित करवा दिया था परन्तु यदि किसी कानूनी बाधा के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य जाति के व्यक्ति के नाम से विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये जाने में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। यह भी कहा कि हमें जब भी विक्रय पत्र नियमानुसार पंजीकृत करवाने के लिए अपीलान्ट के पिता कहेंगे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके भाई बिना किसी प्रकार की आपत्ति के विक्रय पत्र अपीलान्ट के पिता के हक में पंजीकृत करवाने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके भाइयों ने अपीलान्ट के पिता के साथ दिनांक 10.09.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके भाइयों द्वारा अपीलान्ट के पिता के साथ विवादित जमीन 2 बीघा 3 बिश्वा के बाबत अपीलान्ट के पिता स्व0 बीरबल सिंह के हक में उनके कहने पर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए कहने के उपरान्त दिनांक 19.09.2013 को अपीलान्ट के पिता ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 व उसके अन्य भाइयों के नाम से दर्ज विवादित भूमि को इसके अंतिम क्रेता उक्त शरीफ खत्री से इस जमीन की प्रतिफल राशि 4,00,000/-रुपये अदाकर इस भूमि के बाबत ईकरारनामा विक्रय अपने स्वयं के हक में तहरीर करवाकर नोटेरी पब्लिक झुंझुनूं से तस्दीक करवा दिया। उक्त ईकरारनामा दिनांक 19.09.2013 में उक्त विक्रेता शरीफ खत्री ने भी उसकी ओर से उक्त अनुसार निष्पादित करवाये गये ईकरारनामा विक्रय में भी अपीलान्ट के पिता स्व0 बीरबल सिंह द्वारा विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए कहने पर अपीलान्ट के पिता के कहे अनुसार विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए उल्लेख किया हुआ है। उक्त सभी क्रेतागण शरीफ खत्री आदि के लिए पहले अपीलान्ट के पिता व उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट्स की जिम्मेदारी है। उक्त अनुसार दिनांक 19.09.2013 से अपीलान्ट व अपीलान्ट्स का पिता स्व0 बीरबल सिंह इस जमीन पर काबिज है व उपयोग उपभोग करते हैं। उक्त अनुसार अपनी क्यशुदा 2 बीघा 3 बिश्वा जमीन के चारों तरफ पीलर्स गाड़कर तारबन्दी की हुई है। अपीलान्ट्स के पिता स्व0 बीरबल सिंह ने दिनांक 01.12.2022 रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व उसके अन्य भाइयों को इस जमीन के बाबत विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए कहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके अन्य भाई इस जमीन का विक्रय पत्र अपीलान्ट्स के पिता के हक में पंजीकृत करवाने के लिए आश्वासन देते रहे परन्तु हर बार किसी न किसी बहाने से विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने में टालमटोल करते रहे। इस पर अपीलान्ट के पिता द्वारा अपने वकील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके अन्य भाइयों को लीगल नोटिस भिजवाकर विवादित जमीन की रजिस्ट्री अपीलान्ट्स के पिता के हक में करवाने के दिशा निर्देश दिये। उक्त नोटिस रेस्पोडेन्ट नं0 2 व उसके भाई केदारमल को प्राप्त हो गई तथा शेष ने रजिस्ट्रियां वापस लौटा दी उसके बाद रेस्पोडेन्ट न. 2 के भाई महावीर ने दिनांक 24.08.2023 को अपीलान्ट्स के हक में अपने हिस्से की जमीन के बाबत अपने

ईकरार दिनांक 10.09.2013 की पालना में अपीलान्ट्स के पिता बीरबल सिंह के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया जिससे रेस्पोजेन्ट नं० 2 व उसके भाईयों द्वारा अपीलान्ट्स के पिता बीरबल सिंह के हक में संविदा किया जाना प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है परन्तु उक्त महावीर क अलावा स्व० हनुमान प्रसाद के अन्य वारिसान रेस्पोजेन्ट नं० 2 वगैरह ने अपीलान्ट्स के पिता की ओर से भिजवाये गये नोटिस का करीब 7-8 माह की लम्बी अवधि तक कोई जवाब नहीं दिया परन्तु 7-8 माह की अवधि क बाद दिनांक 27.09.2023 को अपने अधिवक्ता श्री बनवारीलाल बरबड़ के मार्फत जवाब नोटिस अपीलान्ट्स के पिता के अधिवक्ता को भिजवाते हुए विवादित जमीन विक्रय करने के संविदा करने से इन्कार करते हुए विवादित जमीन पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा होने के तथ्य को भी इनकार कर दिया। इस पर अपीलान्ट्स के पिता उक्त बीरबल सिंह की ओर से दावा उनवानी बीरबल सिंह बनाम केदारमल वगैरह दावा बाबत करवाने संविदा का विनिर्दिष्ट पालन व स्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 50/2023 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनूं में किया जो बाद अन्तरण न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश झुंझुनूं में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2025 नियत है। दौराने दावा रेस्पोजेन्ट नं० 2 ने विवादित जमीन में से हिस्से की जमीन के बाबत रेस्पोजेन्ट नं० 1 के हक में दिनांक 02.06.2025 को एक नुमाईश विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया जो पहले विचाराधीन दावा के विचाराधीन होने के दौरान पंजीकृत करवाये जाने व रेस्पोजेन्ट नं० 1 के पश्चातर्वी क्रेता होने व उसे विवादित जमीन के बाबत दिनांक 10.09.2013 को रेस्पोजेन्ट नं० 2 व उसके भाईयों द्वारा अपीलान्ट्स के पिता के साथ विक्रय का संविदा होने के तथ्य की जानकारी होने व विवादित जमीन में उक्तानुसार रेस्पोजेन्ट नं० 2 के भाई महावीर द्वारा अपने हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री भी संविदा की पालना में अपीलान्ट्स के पिता उक्त बीरबल सिंह के हक में पहले से ही पंजीकृत करवाये जाने के बाबत जानकारी होने के बावजूद रेस्पोजेन्ट नं० 1 ने जमीन के लालचवश रेस्पोजेन्ट नं० 2 से अपने हक में पंजीकृत करवा ली जो कानून से एक अवैध दस्तावेज है जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट नं० 1 को विवादित जमीन के बाबत किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलान्ट्स को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 09.06.2025 को विवादित जमीन की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर रेस्पोजेन्ट नं० 2 के स्थान पर रेस्पोजेन्ट नं० 1 के नाम दर्ज होने व विक्रय पत्र की अनुपालना में विवादित नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 2701 वाके मण्डावा दिनांक 04.06.2025 को रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा तस्दीक किये जाने के तथ्य की जानकारी हुई। अपीलान्ट की ओर से अवैध नामान्तरकरण जैर बहस से व्यथित होकर यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि रेस्पोजेन्ट नं० 3 द्वारा रेस्पोजेन्ट नं० 1 के हक में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 2701 वाके मण्डावा खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व उसके भाईयों के द्वारा अपीलान्ट्स के पिता स्व० बीरबल सिंह के हक में किये गये संविदा दिनांक 10.09.2013 की अनुपालना के लिए उक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य दावा लम्बित है जिसमें पक्षकारान रेस्पोजेन्ट नं० 2 सहित के मध्य विवादित जमीन के बाबत हक अधिकार तय होंगे। रेस्पोजेन्ट नं० 2 को कानून से दावा लम्बित रहते विवादित जमीन में से किसी भी हिस्से की जमीन को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं था। रेस्पोजेन्ट नं० 1 व 2 ने आपस में मिलकर कानून के विरुद्ध दावा के लम्बित रहते दिनांक 02.06.2025 को बिना अधिकार के विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर उसके आधार नामान्तरकरण जैर बहस रेस्पोजेन्ट नं० 1 हक में विधि विरुद्ध नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से तस्दीक करवाया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोजेन्ट नं० 1 व 2 का विवादित जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में रेस्पोजेन्ट नं० 1 का इस जमीन पर कब्जा है। किसी जमीन के बाबत किसी व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उस जमीन पर मौके पर कब्जा के बाबत जांच की जाकर उस व्यक्ति का भौतिक कब्जा होना प्रमाणित होने पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था विवादित नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व जमीन पर भौतिक कब्जा व अन्य मौके की स्थिति के बाबत कोई जांच नहीं की गई। रेस्पोजेन्ट नं० 2 व उसके भाईयों व इनके पिता हनुमान प्रसाद का दिनांक 28.06.2002 से लगातार कभी कब्जा नहीं रहा। सन 2002 से पहले उक्त सदीक वगैरह का कब्जा रहा तथा सन 2013 से इस विवादित जमीन पर अपीलान्ट्स व इनके पिता बीरबल सिंह का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित जमीन पर रेस्पोजेन्ट नं० 2 व उसके अन्य भाईयों का कब्जा नहीं होने से नामान्तरकरण जैर बहस गलत तस्दीक किया गया है। यदि विवादित जमीन के बाबत न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य दावा लम्बित है जो दावा के लम्बित रहते नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती। यह भी कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि दावा के लम्बित रहते नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने की कार्यवाही कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है तो इस प्रकार तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर दावा के पक्षकारान के मध्य लम्बित रहने के दौराने नामान्तरकरण की कार्यवाही

लम्बित रखी जाकर दावा में पारित निर्णय के अनुसार ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किए जाने की कानून की सुस्थापित व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर बहस को निरस्त किया जाना न्यायोचित व कानून सम्मत है। अतः अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2701 दिनांक 04.06.2025 वाके मण्डावा को खारिज फरमाया जावे तथा पक्षकारान के मध्य दावा के लम्बित रहते किसी प्रकार से नामान्तरकरण आदि की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने अथवा राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश दिया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने नजीर 1995 आरआरटी 120, 1998 आरआरडी 368, 1998 आरआरडी 370, 2012(1) आरआरटी 520, 2001 आरआरडी 242, 2022(1) आरआरटी 607 तथा 2005 आरआरडी 578 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट नं0 3 द्वारा रेस्पोजेन्ट नं0 1 के हक में तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 2701 वाके मण्डावा खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व उसके भाईयों के द्वारा अपीलान्ट्स के पिता स्व0 बीरबल सिंह के हक में किये गये संविदा दिनांक 10.09.2013 की अनुपालना के लिए उक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य दावा लम्बित है जिसमें पक्षकारान रेस्पोजेन्ट नं0 2 सहित के मध्य विवादित जमीन के बाबत हक अधिकार तय होंगे। रेस्पोजेन्ट नं0 2 को कानून से दावा लम्बित रहते विवादित जमीन में से किसी भी हिस्से की जमीन को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं था। रेस्पोजेन्ट नं0 1 व 2 ने आपस में मिलकर कानून के विरुद्ध दावा के लम्बित रहते दिनांक 02.06.2025 को बिना अधिकार के विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर उसके आधार नामान्तरकरण जैर बहस रेस्पोजेन्ट नं0 1 हक में विधि विरुद्ध नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से तस्दीक करवाया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोजेन्ट नं0 1 व 2 का विवादित जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में रेस्पोजेन्ट नं0 1 का इस जमीन पर कब्जा है। किसी जमीन के बाबत किसी व्यक्ति के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उस जमीन पर मौके पर कब्जा के बाबत जांच की जाकर उस व्यक्ति का भौतिक कब्जा होना प्रमाणित होने पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था विवादित नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व जमीन पर भौतिक कब्जा व अन्य मौके की स्थिति के बाबत कोई जांच नहीं की गई। रेस्पोजेन्ट नं0 2 व उसके भाईयों व इनके पिता हनुमान प्रसाद का दिनांक 28.06.2002 से लगातार कभी कब्जा नहीं रहा। सन 2002 से पहले उक्त सदीक वगैरह का कब्जा रहा तथा सन 2013 से इस विवादित जमीन पर अपीलान्ट्स व इनके पिता बीरबल सिंह का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित जमीन पर रेस्पोजेन्ट नं0 2 व उसके अन्य भाईयों का कब्जा नहीं होने से नामान्तरकरण जैर बहस गलत तस्दीक किया गया है। यदि विवादित जमीन के बाबत न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य दावा लम्बित है जो दावा के लम्बित रहते नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती। यह भी कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि दावा के लम्बित रहते नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने की कार्यवाही कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है तो इस प्रकार तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर दावा के पक्षकारान के मध्य लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही लम्बित रखी जाकर दावा में पारित निर्णय के अनुसार ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किए जाने की कानून की सुस्थापित व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर बहस को निरस्त किया जाना न्यायोचित व कानून सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2701 दिनांक 04.06.2025 वाके मण्डावा को खारिज फरमाया जावे तथा पक्षकारान के मध्य दावा के लम्बित रहते किसी प्रकार से नामान्तरकरण आदि की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने अथवा राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश दिया जावे।


विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि हनुमान प्रसाद अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। हनुमान प्रसाद की भूमि उसके वारिसान को मिली है। अपीलान्ट्स अपनी अपील में स्वयं लिख रहे हैं कि अनुसूचित जाति भूमि स्वर्ण जाती को बेचान नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति की भूमि सदीक को बेचना प्रारम्भ से ही शून्य है। शुरु से ही शून्य है तो आगे जितने भी नामान्तरकरण या आदेश सारे शून्य है। रिकार्ड खालेदार ने भूमि का बेचान किया है। अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया है। नामान्तरकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला क्लर्क सुन्दर

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया है। नामान्तरकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2701 दिनांक 09.06.2025 को तस्दीक किया है। विवादित आराजी के संबंध में एक वाद बाबत करवाने संविदा का विनिर्दिष्ट पालन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 50/2023 न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के यहां विचाराधीन है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों से स्पष्ट है कि इस्पेशिफिक परफॉमेन्स एक्ट का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में लंबित है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के भाई ने अपीलान्ट के पक्ष में भूमि विक्रय की है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण तस्दीक होने से **Multiplicity of suits** की आशंका बढेगी। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 2701 दिनांक 04.06.2025 तस्दीक दिनांक 09.06.2025 वाके ग्राम मण्डावा को निरस्त किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण कुर्मा)
जिला कलक्टर, झुंझुनू